मछली पालन, जलकृषि के लिए 1.25 रुपए तक की सहायता उपलब्ध

उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी रूप से सहायता प्रदान करके मत्स्य पालन और जलकृषि को बढ़ावा देने और बढ़ावा देने के लिए, मई 2020 में भारत सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी एम एम एस वाई) शुरू की। यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रभावी रहेगी।

इस योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी, उद्यमिता के विकास, सुगमता से व्यवसाय करने, मतस्य पालन क्षेत्र के स्टार्ट-अप और इनक्युबेटर सहित नवीन परियोजना गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

उद्यमियों की सहायता करने के लिए, पीएम एम एस वाई के दो अलग संघटक हैं:

- केंद्रीय क्षेत्र योजना
- केंद्रीय प्रायोजित योजना

पी एम एम एस वाई के तहत सहायता के लिए पात्र लाभार्थी

व्यक्तिगत उद्यमी और निजी फर्म, मछुआरे, मछली किसान, मछली मज़दूर और मछली विक्रेता, स्वयं सहायता समूह, मतस्य सहकारी समितियां, संयुक्त देयता समूह, मछली किसान उत्पादक संगठन व मछली किसान उत्पादक कंपनियां।

पात्रता शर्तें

- आवेदक/लाभार्थी के पास स्पष्ट स्वामित्व वाली अपनी भूमि हो, जो सभी भारों से मुक्त हो। पट्टे पर ली गई भूमि के मामले में, आवेदक/लाभार्थी के पास न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए भूमि का पट्टा होना चाहिये।
- उद्यमी मॉडल के तहत प्रदान की गई सहायता से स्वयं की या पट्टे पर ली गई भूमि से बनाई संपत्ति का, परियोजना की मंज़ूरी की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए बिक्री, उपहार, हस्तांतरण और पट्टे सहित किसी भी रूप में निपटान नहीं किया जाएगा। यदि परियोजना

लाभार्थी संपत्ति का निपटान करता है, तो लाभार्थी केंद्रीय वित्तीय सहायता पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, के साथ उस समय तक प्राप्त की गई पूरी केंद्रीय वित्तीय सहायता राशि वापस करेगा। इसके अलावा, केंद्रीय वित्तीय सहायता पर 12% प्रतिवर्ष की दर से दंड ब्याज भी वसूल किया जाएगा। संपूर्ण केंद्रीय वित्तीय सहायता, दंड ब्याज सहित संचित ब्याज का भुगतान भारत सरकार को एक मुश्त किश्त में किया जाएगा।

- आवेदकों के पास परियोजना की आवश्यकता के अनुसार, जहां कहीं भी लागू हो, स्थानीय प्राधिकरणों से आवश्यक मंज़ूरी/अनुमति प्राप्त होनी चाहिये।
- आवेदकों ने किसी भी सरकारी योजना या सरकारी एजेंसियों के तहत उद्यमी मॉडल या उप-गतिविधियों की किसी भी गतिविधि के लिए समान सहायता/सब्सिडी का लाभ ना लिया हो।

केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए निधिकरण का प्रतिरूप

केंद्रीय वित्तीय सहायता:

- सामान्य श्रेणी के लिए कुल परियोजना लागत का 25% तक, जिसकी सीमा प्रति परियोजना 1.25 करोड़ रुपये की हो।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के लिए परियोजना लागत का 30% तक, जिसकी सीमा प्रति परियोजना 1.50 करोड़ रुपये की हो।

लाभार्थी का अंशदान: कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10%।

बैंक ऋण: सामान्य श्रेणी के लिए कुल परियोजना लागत का 65% तक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के मामले में कुल परियोजना लागत का 60% तक। लाभार्थी ऋण के एवज में उच्च सीमांत राशि (मार्जिन मनी) का अंशदान कर सकते हैं जो किसी भी स्थिति में कुल परियोजना लागत के 40% से अधिक नहीं होगा।

केंद्रीय प्रायोजित योजना के लिए निधिकरण का प्रतिरूप

केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से सरकारी सहायता:

- सामान्य श्रेणी के लिए कुल परियोजना लागत का 25% तक, जिसकी सीमा प्रति परियोजना 1.25 करोड़ रुपये की हो।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के लिए परियोजना लागत का 30% तक, जिसकी सीमा प्रति परियोजना 1.50 करोड़ रुपये की हो।

सरकारी सहायता को केंद्र और राज्य के बीच इस तरह साझा किया जाएगा:

- केंद्र और सामान्य राज्यों के बीच 60:40
- केंद्र और पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों के बीच 90:10
- केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, पूरी सरकारी सहायता केंद्र द्वारा वहन की जाएगी

लाभार्थी का अंशदान: कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10%।

बैंक ऋण: सामान्य श्रेणी के लिए कुल परियोजना लागत का 65% तक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के मामले में कुल परियोजना लागत का 60% तक। लाभार्थी ऋण के एवज में उच्च सीमांत राशि (मार्जिन मनी) का अंशदान कर सकते हैं जो किसी भी स्थिति में कुल परियोजना लागत के 40% से अधिक नहीं होगा।

योजना को लागू करने वाली एजेंसियां

केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए: राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन एफ डी बी), हैदराबाद

केंद्रीय प्रायोजित योजना के लिए: राज्य/केंद्रीय शासित प्रदेश

योजना के बारे में विवरण वेबसाइट **https://dof.gov.in/pmmsy** पर उपलब्ध है।